न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 166 / 2012 संस्थापित दिनांक 12 / 04 / 2012 फाइलिंग नं. 230303007842012

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद चौराहा,जिला भिण्ड म०प्र०

> > <u>......अभियोजन</u>

बनाम

1. गिर्राज शर्मा पुत्र सुदामा प्रसाद उम्र—31 वर्ष निवासी—अतरेहटी थाना रेटर, जिला जालौन हाल गदाई मौहल्ला मिहोना पी०एस० मिहोना भिण्ड, म०प्र०

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279 एवं 338 भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री अशोक पचौरी।)

<u>::- नि र्ण य -::</u> (आज दिनांक 01/04/2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 10.03.12 को लगभग 17 बजे प्रताप गली के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड़ गोहद चोराहे पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.ई. 3350 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी नारंगी देवी को टक्कर मारकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279, एवं 338 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.12 को फरियादी नारंगी देवी प्रताप गली से निकलकर पैदल—पैदल गोहद चौराहे की तरफ अपने घर जा रही थी। जैसे ही वह प्रतापगली के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड पर आई थीं, तभी गोहद चौराहे की तरफ से मोटरसाईकिल कं0 एम.पी. 30 एम.ई. 3350 का चालक मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसे सामने से टककर मार दी थी। टककर लगने से वह गिर पड़ी थी एवं उसके वायें पैर में घुटने के नीचे तथा गाल पर चोट आ गई थी। मौके पर उसका लड़का रामनिवास एवं भतीजा रामप्रकाश आ गया था जिन्होंने मोटरसाइकिल का नम्बर ले लिया था। उसने अस्पताल गोहद में घटना के संबंध में देहाती नालसी लेखबद्ध कराई थी। तत्पश्चात् पुलिस थाना गोहद चौराहे में अपराध कमांक 39/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढकर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.03.12 को 17 बजे प्रताप गली के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चौराहे पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल कं0 एम.पी. 30 एम.ई. 3350 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया?
- 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल कं0 एम.पी. 30 एम.ई. 3350 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुये फरियादी नारंगी देवी में टक्कर मार कर उन्हें अस्थिमंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहित कारित की?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1 फरियादी नारंगी देवी आा०सा० 2, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ०सा० 3, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 4, रामप्रकाश अग्रवाल अ०सा० 5 रामनिवास अ०सा० 6, नीरज अ०सा० 7, डॉ० पंकज यादव आ०सा० 8 एवं नायक सिंह भदौरिया अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है। जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1एवं 2

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी नारंगी देवी अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी गिर्राज शर्मा को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन साल पहले शाम 5 बजे की है। वह रामबाबू के घर गई थी, वहां से लौट कर आ रही थी। जैसे ही वह तोमर गली के सामने पहुंची थी तो मोटरसाइकिल चालक ने उसे बहुत जोर से टककर मार दी थी। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को भयंकर तरीके से चला रहा था। मोटरसाइकिल का नम्बर वह नहीं बता सकती है। एक्सीडेंट में उसके बायीं जांघ, सिर व दाहिने गाल पर चोट आई थी उसके हाथ छिल गए थे। वह टक्कर मारने वाले आदमी को नहीं पहचान सकती हैं उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी गई थी जो प्र0पी0 2 है, जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था। उसका गोहद में इलाज हुआ था फिर उसको लश्कर रैफर किया गया था। उसकी जांघ में करीब 50 टांके आए थे, उसकी जांघ में प्लेट डली थी।
- 9. साक्षी रामप्रकाश अग्रवाल अ०सा० 5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी गिर्राज को नहीं जानता है। उसे घ ाटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्र०पी० 4 के नक्शेमौके के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
- 10. साक्षी रामनिवास अ०सा० ०६ ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी गिर्राज को नहीं जानता है । घटना दिनांक 10.03.12 की है। उसकी माताजी नारंगीदेवी प्रताप गली से उसके चाचा

रामबाबू के घर जा रही थीं। वह उस समय चाचा के घर से आ रहा था तभी वाहन क्रमांक एमपी 30 एमई 3550 के चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर नारंगीदेवी को टक्कर मार दी थी, जिससे उनके वायें पैर तथा दाहिने गाल में चोट आई थी। बाद में चालक का नाम गिर्राज पता चलाथा। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह एक्सीडेंट के समय दुकान पर नहीं था, बल्कि अपने चाचा के घर से आ रहा था। रामबाबू चाचा का घर प्रताप वाली गली के सामने है।

- 11. साक्षी नीरज अ०सा० ७ ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी गिर्राज से उसका एक्सीडेंट के समय परिचय हुआ था। गिर्राज को वहीं पकड़ लिया था। घटना दिनांक को रामनिवास अग्रवाल की माताजी प्रताप गली से निकल रही थीं, मोटरसाइकिल वाला चौराहे की तरफ से आ रहा था इसी में दोनों भिड़ गये थे। दुर्घटना में रामनिवास की माताजी का पैर फ्रेक्चर हो गया था। मोटरसाईकिल की स्पीड 30—40 कि०मी० थी। मोटरसाईकिल का नं० एमपी 30 एमई 3550 था, उसके बाद रामनिवास की माताजी को थाने लेकर गए थे और उन्होंने रिपोर्ट की थी। मोटरसाईकिल को भी थाने लेकर गए थे। थाने पर घटना के समय मोटरसाईकिल चलाने वाले का नाम गिर्राज पता चला था। प्रतिपरीक्षण के पदक्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने तो सिर्फ गाडी का नम्बर लिखाया था, आरोपी का नाम नहीं लिखाया था जब रिपोर्ट लिखी गई थी तभी आरोपी का नाम पता चला था। आरोपी को तो वह पकड़े हुए था। उसने आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने ही आरोपी से नाम पूछा था।
- 12. प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० ४ ने देहातीनालसी प्र०पी० २ को प्रमाणित किया है। प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ०सा० ०३ ने प्र०पी० ३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। डाँ० आलोक शर्मा अ०सा० ०१ ने फरियादी नारंगीदेवी की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० ०१ को प्रमाणित किया है। डाँ० पंकज यादव अ०सा० ८ ने फरियादी नारंगी देवी के एक्स—रे रिपोर्ट प्र०पी० ०५ को प्रमाणित किया है एव नायक सिंह भदौरिया अ.सा.९ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं मानी जा सकती है।
- 14. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक 10.03.12 को फरियादी नारंगी देवी के शरीर पर उपहितयां थीं? यदि हां तो उसकी प्रकृति ?। उक्त संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 10.03.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा लाए जाने पर आहत् नारंगी देवी का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने नारंगी देवी के वायें घुटने एवं दाहिने घुटने में चोटें पाईं थीं। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण एवं भौंथरी वस्तु से आना संभव थीं तथा परीक्षण अवधि के 06 घण्टे के अंदर की थीं। चोट कमांक 02 साधारण प्रकृति की थी। चोट कमांक 01 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी, जिसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी० 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पदकमांक 03 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत् को आई चोटें गिरने से आना संभव थीं।
- 15. डॉ0 पंकज यादव अ0सा0 8 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 10.03.12 को जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में डॉ0 हरीश बुजारे ने आहत् नारायणी देवी पत्नी जगदीश का एक्सरे

परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान हरीश बुझारे ने आहत् नारायणी की फीमर अस्थि में अस्थिभंजन होना पाया था। उक्त एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी० 5 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ० हरीश बुझारे के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके प्रति हस्ताक्षर हैं।

- 16. फरियादी नारंगी देवी अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में एक्सीडेंट में उसकी वायीं जांघ में चोट आना बताया है। साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 एवं नीरज अ०सा० 7 ने भी अपने कथन में नारंगीदेवी के एक्सीडेंट में पैर में चोट आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगणों का कथन फरियादी नारंगीदेवी के शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं। डाँ० आलोक शर्मा अ०सा० 1 ने भी दिनांक 10.03.12 को फरियादी नारंगी देवी के पैर में चोट होना बताया है। डाँ० पंकज यादव अ०सा० 8 ने भी दिनांक 10.03.12 को डाँ० हरीश बुझारे द्वारा फरियादी का एक्सरे परीक्षण करना एवं प्र०पी० 05 की चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार करना बताया है। यद्यपि प्र०पी० 05 की चिकित्सीय रिपोर्ट में आहत् का नाम नारायणी लेख है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र०पी० 5 की चिकित्सीय रिपोर्ट में आहत् नारायणी पत्नी जगदीश एवं पता गोहद, जिला भिण्ड लिखा हुआ है। आरोपी की ओर से उक्त संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह दर्शित होता है कि फरियादी नारंगी देवी का नाम मानवीय भूल से प्र०पी० 05 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट में नारायणी लेख हो गया है एवं मात्र उक्त त्रुटि से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 17. प्र0पी० 5 की चिकित्सीय रिपोर्ट से यह दर्शित है कि एक्सीडेंट में फरियादी नारंगी देवी के वायें पैर में अस्थि भंग कारित हुई थी। फरियादी नारंगी देवी द्वारा भी एक्सीडेंट में उसके वायें पैर में चोट आना बताया है। फरियादी नारंगी देवी अ०सा० 02 के उक्त कथन का समर्थन साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 एवं नीरज अ०सा० 7, डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1 एवं डॉ० पंकज यादव अ०सा० 8 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी नारंगी देवी के शरीर पर चोट होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं एवं अखंडनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखंडनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी नारंगी देवी के शरीर पर उपहित थी, जिसकी प्रकृति गंभीर थी।
- 18. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि फरियादी नारंगी देवी को उक्त उपहितयां वाहन दुर्घटना में आई थीं। उक्त संबंध में यहां फरियादी नारंगी देवी अ०सा० 02 ने यह बताया है कि घाटना वाले दिन तोमर गली के सामने उसे मोटरसाईकिल चालक ने टक्कर मार दी थीं, जिससे उसके पैर में चोटें आई थीं। साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 एवं नीरज अ०सा० 7 ने भी फरियादी नारंगी देवी के वाहन दुर्घटना में चोटें आना बताया है। प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 4 ने भी नारंगी देवी की सूचना पर प्र०पी० 02 की देहातीनालसी लेखबद्ध करना बताया है। आरोपी की ओर से भी उक्त तथ्यों के खंडन में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फलतः उपरोक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि फरियादी नारंगी देवी को उक्त चोटें वाहन दुर्घटना में कारित हुई थीं।
- 19. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त वाहन दुर्घटना आरोपी गिर्राज द्वारा आरोपित मोटरसाईकिल एमपी 30 एमई 3350 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए कारित की गई थी। उक्त संबंध में फरियादी नारंगी देवी अ0सा0 2 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसका मोटरासाईकिल से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने

वाली मोटरसाईकिल का नम्बर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह गिर्राज को नहीं जानती है। फरियादी नारंगी अ०सा० 02 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

साक्षी रामनिवास अ०सा० ६ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी गिर्राज को नहीं जानता है। घटना वाले दिन उसकी माताजी प्रताप वाली गली से उसके चाचा रामबाबू के घर जा रही थीं । वह उस समय चाचा के घर से आ रहा था। वाहन क्रमांक एमपी 30 एमई 3550 के चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी को चलाकर उसकी माताजी को टक्कर मार दी थी बाद में चालक का नाम गिर्राज पता चला था। इस प्रकार रामनिवास अ०सा० ६ ने अपने कथन में मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 30 एमई 3550 के चालक द्वारा फरियादी नारंगी देवी को टक्कर मारना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह बात कि नारंगी देवी को मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी30 एमई 3550 के चालक ने टक्कर मारी थी साक्षी द्वारा अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में नहीं बतायी गयी है इस प्रकार उक्त बिंदू पर साक्षी रामनिवास अ.सा.६ का कथन उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी1 से विरोधाभाषी रहा है। साक्षी रामनिवास अ०सा० ६ ने अपने कथन में यह भी बताया है कि घटना के समय वह चाचा के घर से आ रहा था एवं उसके चाचा का घर प्रताप गली के सामने है, जबकि उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र0डी0 1 के अनुसार उक्त साक्षी घटना के समय दुकान पर था एवं उसे एक्सीडेंट की सूचना दुकान पर मिली थी। इस प्रकार साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 के कथन उक्त बिंदू पर भी उसके पुलिस कथन प्र0डी० 1 से विरोधाभाषी रहे हैं। साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी गिर्राज को नहीं जानता है। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसे बाद में चालक का नाम गिर्राज पता चला था। परंत उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे चालक का नाम कैसे पता चला था। उक्त साक्षी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसने आरोपी गिर्राज को दुर्घटना कारित करते हुए देखा था, बल्कि उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी गिर्राज को नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में साक्षी रामनिवास अ०सा० 6 के कथन से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल को आरोपी गिर्राज चला रहा था।

21. साक्षी नीरज अ०सा० ७ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन एक्सीडेंट के समय उसका आरोपी गिर्राज से परिचय हुआ था एवं उसने मौके पर गिर्राज को पकड़ लिया था एवं पुलिस को दे दिया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया था तथा पुलिस ने ही उसका नाम पूछा था। इस प्रकार नीरज अ०सा० ७ द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी को एक्सीडेंट के समय मौके पर ही पकड़ लिया गया था तथा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था, परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था प्रविश्व के सुपुर्व कर देवा नालसी एवं प्रविश्व को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यदि वास्तव में आरोपी गिर्राज को मौके पर ही पकड़ लिया गया था एवं उसे पुलिस के सुपुर्व कर दिया गया था तो इस तथ्य का उल्लेख प्रविश्व नालसी एवं प्रविश्व को पुलिस के सुपुर्व कर दिया गया था तो इस तथ्य का उल्लेख प्रवर्श पी २ की देहाती नालसी एवं प्रवर्श पी ३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रविश्व प्रवर्श पी ३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रविश्व विनांक 10.03.12 को 17:15 बजे दी गयी है, परंतु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी ६ में आरोपी गिर्राज को दिनांक 10/03/12 के 19:30 बजे गिरफ्तार किये जोन का उल्लेख है। यदि साक्षी नीरज के कथनानुसार आरोपी गिर्राज को सीके पर ही पकड़ लिया गया था एवं पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था तो आरोपी गिर्राज को उसी समय गिरफ्तार होना चाहिए था, परंतु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 6 के अनुसार आरोपी गिर्राज को

एक्सीडेंट के लगभग डेढ़ घण्टे बाद गिरफ्तार किया गया है यह तथ्य भी साक्षी नीरज अ.सा.7 के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है।

- 22. साक्षी नीरज अ.सा.७ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि रिपोर्ट लिखते समय आरोपी के नाम का पता चला था, परंतु प्रदर्श पी 2 की देहाती नालसी एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं है। यदि वास्तव में आरोपी गिर्राज को मौके पर ही पकड़ लिया होता तो इस तथ्य का उल्लेख प्रदर्श पी 2 की देहाती नालसी एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य होता, परंतु प्रदर्श पी 2 की देहाती नालसी एवं प्रदर्श पी 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी गिर्राज को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। इसके अतिरिक्त यह बात कि आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था विवेचक नायब सिंह भदौरिया अ. सा.९ द्वारा भी नहीं बतायी गयी है। न ही यह बात इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी नीरज अ.सा.७ के कथन विवेचक नायब सिंह भदौरिया अ.सा.० के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। ऐसी स्थिति में साक्षी नीरज अ.सा.७ का यह कथन कि उसने मौके पर ही आरोपी गिर्राज को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था सत्य नहीं है।
- 23. साक्षी रामप्रकाश अग्रवाल अ.सा.5 ने भी अपने कथन में आरोपी गिर्राज की पहचान नहीं की है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी ह गोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 24. इस प्रकार समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी नारंगी देवी अ.सा.2 एवं साक्षी रामप्रकाश अग्रवाल अ.सा.5 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। साक्षी रामनिवास अ.सा.6, नीरज अ.सा.7 एवं नायक सिंह भदौरिया अ.सा.9 के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। डॉ. आलोक शर्मा अ.सा.1, प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह अ.सा.3, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.4 एवं डॉ. पंकज यादव अ. सा.8 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल कमांक एमपी30 एमई 3350 को आरोपी गिर्राज चला रहा था एवं आरोपी गिर्राज ने आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए फरियादी नारंगी देवी को टक्कर मारकर उसे गम्भीर उपहित कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 25. यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोपी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक दिनांक 10.03.12 को लगभग 17 बजे प्रताप गली के सामने भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चोराहे पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम.पी. 30 एम.ई. 3350 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी नारंगी देवी को टक्कर मारकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी गिर्राज शर्मा को संदेह का लाभ देते हुये उसे भा.दस की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
 - आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

28. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल कमांक एमपी30 एमई 3350 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 01.04.17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

ELIMINA PAPOLON SUNTANA PAPOLO